

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 57 / 2012

संस्थित दिनांक-06 / 02 / 2012

फाइलिंग नंबर-230303002992012

सुरेन्द्र सिंह उम्र 40 साल, पुत्र महाराज सिंह तोमर

निवासी ग्राम बरौना थाना एण्डोरी जिला भिण्ड (म0प्र0) -----**फरियादी**

वि रू द्ध

1. देशराज सिंह उम्र 32 साल पुत्र वीरेन्द्र सिंह तोमर,
निवासी ग्राम बरौना थाना एण्डोरी
2. श्रीमती दीपा उम्र 30 साल पत्नी सुरेन्द्र सिंह तोमर,
निवासी ग्राम बरौना परगना गोहद जिला भिण्ड
हाल निवासी चीनौर तहसील भितरवार जिला ग्वालियर -----**आरोपीगण**

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री पी.एन. भट्टेले अधिवक्ता ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक **11.03.2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त देशराज के विरुद्ध धारा 307 भा0द0वि0 एवं के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 22/11/2010 के शाम साढ़े सात बजे हनुमान मंदिर के पास अंतर्गत थाना गोहद स्थित आहत फरियादी सुरेन्द्र सिंह पर कट्टा से प्राणघातक फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के दोषी होते, जिसका अभियुक्त देशराज का ज्ञान था एवं आरोपिया श्रीमती दीपा के विरुद्ध 120-बी भा.दं.वि.के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 22/11/2010 के शाम साढ़े सात बजे हनुमान मंदिर के पास अंतर्गत थाना गोहद स्थित अपने पति सुरेन्द्र सिंह को जान से मारने का सडयंत्र सहअभियुक्त देशराज के साथ मिलकर किया, जिससे सहअभियुक्त देशराज द्वारा देशी कट्टा से सुरेन्द्र पर प्राणघातक फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या की दोषी होती ऐसा संभाव्य जानती थी ।
2. प्रकरण में निर्विवादित तथ्य है कि आरोपिया श्रीमती दीपा फरियादी सुरेन्द्रसिंह तोमर अ0सा0-8 की विवाहिता पत्नी है। आरोपी देशराज भी उसका रिश्ते में भतीजा है। यह भी निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी देशराज से परिवादी सुरेन्द्रसिंह का जमीन को लेकर विवाद है तथा यह भी स्वीकृत है कि आरोपिया दीपा का अपने पति परिवादी सुरेन्द्रसिंह से घटना के पूर्व से विवाद होकर उनके

बीच मुकदमेबाजी कुटुंब न्यायालय ग्वालियर में हुई है। पूर्व में भी दीपा के द्वारा उसके विरुद्ध डबरा, चीनौर, ग्वालियर थानों में रिपोर्ट की गई हैं। यह भी स्वीकृत है कि घटना के संबंध में पुलिस द्वारा कोई अभियोग पत्र संज्ञान योग्य नहीं पाया गया था। यह भी स्वीकृत है कि परिवारी सुरेन्द्रसिंह और साक्षी महेन्द्रसिंह दोनों सगे भाई हैं। साक्षी राजेशसिंह भी उनका रिश्तेदार है। यह भी स्वीकृत है कि सुरेन्द्रसिंह और आरोपिया दीपा लंबे अरसे से पृथक पृथक रह रहे हैं।

3. अभियोजन के अनुसार फरियादी सुरेन्द्रसिंह की ओर से प्रस्तुत किए गये परिवादपत्र मुताबिक घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक-22/11/2010 के शाम 7:30 बजे हनुमान मंदिर के पास ग्राम बरौना में फरियादी सुरेन्द्र सिंह पेशाब करने आया तभी आरोपी देशराज दो अज्ञात लडकों के साथ आया जिसमें से एक लडके ने फरियादी से कहा कि क्या तुम्हारा नाम सुरेन्द्र सिंह है, तब फरियादी ने कहा कि हां। फरियादी उन दो अज्ञात लडकों से बातें करने लगा उसी समय आरोपी देशराज ने उसे जान से मारने की नीयत से कटटा का फायर किया जिसकी गोली फरियादी के बांयी जांघ गुप्तांगों के नीचे लगी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और तीनों लोग भाग गये। फरियादी के चिल्लाने पर उसका भाई मन्नु उर्फ महेन्द्र, राजेश, वीरेन्द्रसिंह व गांव के अन्य लोग आये। जिनके आने के पूर्व फरियादी बेहोश हो गया था, उक्त लोगों द्वारा फरियादी को बेहोशी की हालत में गोहद अस्पताल लेकर आये, जहां से उसे ग्वालियर रिफर कर दिया गया।
4. ग्वालियर अस्पताल में फरियादी को दो दिन बाद होश आया, तब एण्डोरी थाना के पुलिस वाले ने उसके हस्ताक्षर कराये थे उस समय फरियादी को उक्त कागजों में क्या लिख है पता नहीं है और वह कागज उसे पढ़कर भी नहीं सुनाया था, न ही घटना के बारे में पूछताछ की। फरियादी सुरेन्द्र सिंह को होश आने पर उसने घटना की जानकारी अपने भाई मन्नु, वीरेन्द्रसिंह, राजेश को बतायी, तब सभी को जानकारी मिली कि देशराज घटना से बचने के लिए घटनास्थल पर चिल्ला रहा था कि दुश्मनों ने सुरेन्द्रसिंह को गोली मार दी तथा पुलिस एण्डोरी से मिलकर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखा दी और अपना नाम साक्षी के रूप में लिखवा दिया।
5. फरियादी सुरेन्द्रसिंह ने अपने परिवादपत्र में यह भी कहा कि परिवारी की पत्नी श्रीमती दीपा व आरोपी देशराज के मध्य अवैध संबंध हैं जिनको उसने 2-3 बार स्वयं देखा। जिसकी शिकायत दीपा के माता पिता एवं भाईयों से करने पर श्रीमती दीपा उससे रंजिश मान गयी और देशराज के साथ मिलकर उसे जान से मारने का सडयंत्र बनाने लगी। घटना के 20 दिन पहले आरोपिया दीपा फरियादी के पास आयी और उससे कहा कि तुम अपने हिस्से की जमीन बेच दो और मेरे साथ चीनौर में रहने लगे तो फरियादी ने मना कर दिया तभी दीपा द्वारा जाते समय यह कहा गया कि मैं तुमको एक महीने के अंदर जान से मरवा दूंगी। पुलिस एण्डोरी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने पर परिवारी ने दि0-22/12/2010 एवं 06/01/2011 को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित रिपोर्ट की, किन्तु पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने पर फरियादी सुरेन्द्रसिंह द्वारा जे.एम.एफ.सी. न्यायालय के समक्ष दि0-24/01/2011 को परिवादपत्र पेश किया गया।

6. उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अप.क्र.-49/14 पर लेखबद्ध की जाकर आहत का मेडीकल करवाया गया, तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
7. श्री मनीष शर्मा, जे.एम.एफ.सी. गोहद द्वारा पंजीयन तर्क श्रवण करते हुए दिनांक-04/11/2011 को आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा-307/34, 120 बी भा. दं.वि. के विरुद्ध संज्ञान लिये जाने का मामला पाते हुए परिवादपत्र केन्द्रीय आपराधिक पंजी में दर्ज किया गया।
8. जे0एम0एफ0सी0 श्री मनीष शर्मा द्वारा प्रकरण उपापित किए जाने पर मा0 सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।
9. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह के विरुद्ध धारा 307 भा0द0वि0 एवं आरोपिया श्रीमती दीपा के विरुद्ध धारा 120-बी भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिश के कारण झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से आरोपिया श्रीमती दीपा का धारा-315 जा.फौ. के अंतर्गत बचाव साक्ष्य में कथन कराया गया है।
10. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
 - 1- क्या आरोपी देशराज के द्वारा परिवादी सुरेन्द्रसिंह तोमर को दिनांक 22.11.10 के शाम करीब साढ़े सात बजे ग्राम बरौना में मंदिर के पास उसे जान से मारने की नीयत से कटूटे से गोली मारी जिससे उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के अपराध का दोषी होता?
 - 2- क्या आरोपिया श्रीमती दीपा ने अपने पति परिवादी सुरेन्द्रसिंह को जान से मारने का आपराधिक षड़यंत्र सह अभियुक्त देशराज के साथ मिलकर कारित किया?

-:-निष्कर्ष के आधार :-

नोट:- प्रकरण में साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित दस्तावेजों में साक्षी वीरेन्द्रसिंह का धारा-202 दप्रसं के तहत हुआ कथन एवं आहत फरियादी सुरेन्द्रसिंह तोमर की मेडिकल जांच रिपोर्ट दोनों ही प्र0पी0-8 से अंकित हो गयी हैं तथा साक्षी वीरेन्द्रसिंह अ0सा0-4 एवं परिवादी सुरेन्द्रसिंह अ0सा0-8 के धारा-161 दप्रसं के दोनों पुलिस कथन प्र0डी0-1 के रूप में एवं धारा-200 दप्रसं का जांच कथन व साक्षी महेन्द्र का धारा-202 दप्रसं का जांच कथन प्र0डी0-2 के रूप में साक्षी राजेशसिंह का धारा-202 दप्रसं का कथन और आरोपिया दीपा की डबरा थाने में अदम दस्तंदाजी रिपोर्ट दिनांक 02.10.09 प्र0डी0-4 के रूप में डबल अंकित हो गये हैं, इसलिये साक्ष्य के विश्लेषण में भ्रमपूर्ण स्थिति न रहे और कम बना रहे, इसलिये कम सुधारते हुए जिस क्रम में दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं, उसी क्रम के आधार पर व सुविधा की दृष्टि से वीरेन्द्रसिंह का धारा-202 दप्रसं का न्यायालयीन कथन प्रडी-8 ए के रूप में और धारा-161 का पुलिस कथन प्र0डी0-1 ए के रूप में धारा-202 दप्रसं का साक्षी महेन्द्र अ0सा0-9 का जांचकथन प्र0डी0-2 ए के रूप में एवं आरोपिया दीपा की डबरा थाने की

रिपोर्ट प्र0डी0-4 के रूप में अवलोकन में ली जावेगी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 एवं 2 का निराकरण

11. सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
12. परीक्षित साक्षियों में से डॉ0 संतोष सोनी अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह दिनांक 22.11.10 को सी0एच0सी0 गोहद में रात्रि के समय मेडिकल ऑफीसर के पद पर कार्यरत था। रात्रि करीब 9.30 बजे थाना एण्डोरी का आरक्षक कमलकिशोर क्रमांक-1092 आहत सुरेन्द्रसिंह पिता महाराजसिंह को मेडिकल परीक्षण हेतु लाया था जिसका उसने परीक्षण किया था और आहत सुरेन्द्रसिंह की बाईं जांघ के सामने की तरफ उपर एक तिहाई हिस्से पर एक घाव 2 गुणित 1 से0मी0 का अण्डाकार होकर अंदर की सतह धंसी हुई थी। बाहरी सतह पर कोई कालापन या जले हुए निशान नहीं थे। घाव के चारों तरफ सूजन उपस्थित थी। छूने पर दर्द था और घाव से खून बह रहा था। आहत की हालत नाजुक होकर उसका रक्तचाप गिरा हुआ था। उसकी आंखें अंदर घुस रही थीं जिससे वह शॉक की हालत में था जिसका उसने प्राथमिक उपचार कर आहत के गंभीर होने से सी0एम0ओ0 माधव डिस्पेन्सरी ग्वालियर के लिये उपचार व एक्सरे परीक्षण हेतु रिफर किया था। और प्र0पी0-8 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
13. अ0सा0-7 डॉ0 सोनी द्वारा अपने अभिमत में यह बताया गया है कि आहत सुरेन्द्र को आई चोटें आग्नेय शस्त्र से आना प्रतीत होती थीं जो कि दूरी से पहुंचाई गई चोट थी और घाव खुला हुआ था, बंधा नहीं था। चोट के समय का अंतराल घाव की प्रकृति को देखकर बताया जाता है। आहत को गोली सामने की तरफ से मारी गई थी। कितनी दूरी से मारी गई, यह वह निश्चित तौर पर नहीं बता सकता है। उक्त चिकित्सक से सुझाव देकर बचाव पक्ष द्वारा यह पूछे जाने पर कि जेब से स्वयं हथियार चलाने पर उक्त चोट आना संभव है जिस पर उक्त चिकित्सक द्वारा संभावना तो व्यक्त की गई है किन्तु यह भी कहा गया है कि लक्षण में परिवर्तन आयेंगे। वह यह नहीं बता सकता कि कितने एम0एम0 के हथियार से चोट पहुंचाई गई थी लेकिन घाव दो से0मी0 का था और गोलाकार होकर गनशॉट का घाव था। चोट आरपार नहीं हुई थी, गोली घाव के अंदर थी। गोली उसके द्वारा नहीं निकाली गई थी। क्योंकि आहत का रक्तचाप कम था और हालत नाजुक होने से उसे ग्वालियर रिफर कर दिया था।
14. इस संबंध में विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा यह तर्क किया गया है कि चिकित्सक की अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-8 मुताबिक परिवादी को पहुंची चोटें आग्नेय शस्त्र की होकर अपने आप में प्राण घातक है और चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर धारा-307 भा0द0वि0 के अपराध को आकर्षित करती है। जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह कहा गया है कि चिकित्सक द्वारा चोटें स्वतः कारित होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया गया है तथा चोट आरपार नहीं हैं और चोट की प्रकृति प्राण घातक होना चिकित्सक द्वारा नहीं

बताई गई है तथा वह शरीर के मार्मिक अंग पर भी नहीं हैं और ग्वालियर में क्या उपचार हुआ उससे संबंधित कोई चिकित्सीय प्रमाण अभिलेख पर नहीं है तथा ग्वालियर में जो इलाज बताया गया है उससे संबंधित चिकित्सक को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। इसलिये चोट प्राण घातक नहीं मानी जा सकती है। साधारण प्रकृति की ही है।

15. यह सही है कि अभिलेख पर डॉ० संतोष सोनी अ०सा०-7 के अलावा अन्य कोई चिकित्सक परीक्षित नहीं हुआ है और प्र०पी०-8 की प्राथमिक उपचार की मेडिकल रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई उपचार संबंधी प्रमाण अभिलेख पर नहीं हैं। इसलिये परीक्षित चिकित्सक की साक्ष्य के आधार पर ही और व्यक्ति की गई चिकित्सीय राय के आधार पर चोट की प्रकृति के बारे में निष्कर्ष निकालना होगा। डॉ० सोनी अ०सा०-7 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आहत सुरेन्द्र सिंह को पाई गई चोटें आग्नेय शस्त्र की ही थीं और अण्डाकार होकर बाईं जांघ पर सामने की तरफ से पहुंचाई गई थीं। उसने पैरा-8 में स्पष्ट किया है कि आहत सुरेन्द्र को गोली सामने की तरफ से मारी गई थी। दो से०मी० का घाव बताया है और गोली घाव के अंदर होना बताई गई। हालांकि उसके द्वारा गोली निकालने का प्रयास नहीं किया गया जिसका उसने यह स्पष्ट कारण बताया है कि आहत का रक्तचाप कम था और हालत नाजुक थी इसलिये उसे ग्वालियर रिफर किया गया था। अभिलेख पर माधव डिस्पेन्सरी ग्वालियर और जे०ए०एच० हॉस्पिटल ग्वालियर जहाँ का इलाज बताया गया वहाँ से संबंधित दस्तावेज अवश्य संकलित कर पेश नहीं हुए हैं किन्तु यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि मामला प्राईवेट परिवार पर आधारित है क्योंकि पुलिस के द्वारा कोई अभियोग पत्र घटना के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. अभिलेख पर जो अन्य साक्ष्य आई है जिसमें ए०एस०आई० हरगोविन्दसिंह परमार अ०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि दिनांक 22.11.10 को वह थाना एण्डोरी में एच०सी०एम० के पद पर पदस्थ था। और उक्त दिनांक को आरक्षक अवधेशसिंह चौहान ने सी०एच०सी० गोहद से अप० क्र०-0/10 धारा-307/34 भा०द०वि० की देहाती नालिसी असल कायमी हेतु लाकर पेश की थी। जिस पर से उसने अप०क्र०-117/10 कायम कर प्र०पी०-1 की एफ०आई०आर० देहाती नालिसी के आधार पर लेख की थी और आहत सुरेन्द्रसिंह का मुलाहिजा फॉर्म प्र०पी०-2 चोट के संबंध में तैयार किया था। उसने यह भी बताया है कि आहत को उसने देखा था और उसको एक चोट थी। देहाती नालिसी असल गोहद में जाकर लेखबद्ध करने वाले उपनिरीक्षक एस०एस० सिकरवार को अ०सा०-3 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि जब वह उक्त दिनांक 22.11.10 को थाना एण्डोरी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। तब उसे रात्रि करीब 9.00 बजे यह सूचना मिली थी कि ग्राम बरौना में गोली चलने से घायल सुरेन्द्रसिंह पुत्र महाराजसिंह गोहद अस्पताल में आकर भर्ती हो गया है जिसकी सूचना पर से वह मय पुलिस बल के अस्पताल गोहद गया था और उसने वहाँ पूछताछ करके देहाती नालिसी प्र०पी०-4 फरियादी के बताये अनुसार लेखबद्ध की थी जिसमें भी बांये पैर की जांघ में गुप्तांग के पास कट्टे से फायर की गई गोली लगना बताया गया था।

17. अन्य परीक्षित साक्षी देवेन्द्रसिंह अ0सा0-2 ने भी इस संबंध में यह स्वीकार किया है कि सुरेन्द्र को गोली लगी थी। गोली लगने के एक घण्टे बाद वह पहुंचा था और सुरेन्द्र को रामवरन वगैरा ट्रैक्टर से गोहउद अस्पताल ले गये थे। अस्पताल ले जाने वाले साक्षी सुरेन्द्रसिंह अ0सा0-5 ने भी परिवादी सुरेन्द्र को गोली लगने पर अस्पताल ले जाना बताया है। स्वयं परिवादी सुरेन्द्रसिंह तोमर अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य में भी बाये पैर में कट्टे से गोली मारना बताया गया है। हालांकि उसने आरोपी देशराज के द्वारा ही गोली मारना बताया है जिसका आगे मूल्यांकन किया जायेगा। किन्तु आहत सुरेन्द्रसिंह को चोट कट्टे से मारी गई गोली के फलस्वरूप आई, इस बात की पुष्टि महेन्द्रसिंह अ0सा0-9 के द्वारा भी की गई है। और रामवरन अ0सा0-10 के द्वारा भी ऐसा ही कहा गया है।

18. प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 प्र0पी0-4 की देहाती नालिसी और उपरोक्त साक्षियों के कथनों में आये बिन्दुओं पर से यह स्पष्ट होता है कि आहत को आई चोटें आग्नेय शस्त्र से ही पहुंची थीं। स्वयं आरोपिया श्रीमती दीपा ने धारा-315 दप्रसं के तहत ब0सा0-1 के रूप में दिये गये कथन में भी सुरेन्द्र को चोट गोली स लगने से ही आना बताया है। इस प्रकार से आहत को पहुंची चोट आग्नेय शस्त्र से आने पर बचाव पक्ष का भी खण्डन नहीं है।

19. जहाँ तक चोट की प्रकृति का प्रश्न है, और यह बिन्दु उठाया गया है कि चिकित्सक द्वारा चोटें प्राण घातक नहीं बताई गई हैं। इस संबंध में वैधानिक स्थिति को देखा जाये तो डॉ0 सोनी अ0सा0-7 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में आहत की हालत नाजुक होना, रक्तचाप कम होने से उसे ग्वालियर रिफर करना बताया गया है। जो अपने आप में चोट की प्रकृति गंभीर स्वरूप की प्रकट करता है और आग्नेय शस्त्र से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट आये वह प्राण घातक ही मानी जाती है क्योंकि भा0द0वि0 की धारा-300 में जो उपबंध हैं उसके अनुसार— **हत्या—** एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़र आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्युकारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा— यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिसको वह अपहानिकारित की गई है, अथवा

तीसरा— यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्युकारित करने के लिये पर्याप्त हो, अथवा

चौथा— यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिये किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

20. उक्त प्रावधान मुताबिक ऐसी चोट जो कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु के लिये पर्याप्त हो वह प्राणघातक ही मानी जावेगी। और अ0सा0-7 ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामान्यतः खून का जमना चोट के एक घण्टे बाद शुरू हो जाता है लेकिन यदि घाव गहरा हो, खून बहता रहे और उसे बंद न किया जाये

तो चोट सामान्य नहीं होगी और चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के समय आहत के घाव से खून बह रहा था, ऐसा पैरा-1 में ही स्पष्ट रूप से बताया है। इस तरह से चिकित्सक द्वारा जो स्थिति आहत के मेडिकल परीक्षण के लिये बताई गई है उससे उसकी चोट गंभीर स्वरूप की होना ही प्रकट होता है।

21. जहाँ तक यह प्रश्न है कि चिकित्सक द्वारा चोट घातक होने की राय व्यक्त नहीं की गई है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विरुद्ध मीरमुहम्मद एवं अन्य ए0आई0आर0 2000 एस0सी0 298** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिये पर्याप्त हैं या नहीं, इसके संबंध में यदि चिकित्सक द्वारा न लिखा गया हो तो यह न्यायालय स्वयं भी देख सकता है। हस्तगत मामले में फरियादी सुरेन्द्र को चोटें आग्नेय शस्त्र की पहुंचाई गई हैं। गुप्तांग के नजदीक बांये पैर की जांघ में है और रक्त बह रहा था। यदि रक्त को न रोका जाये तो ऐसी स्थिति में मृत्यु संभव है। और परिवादी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में गोली जान से मारने की नीयत से मारी जाना कहा गया है। ऐसे में आहत सुरेन्द्र की चोट भा0द0वि0 की धारा-300 के प्रवर्ग-3 के अंतर्गत आना परिलक्षित होती है। न्याय दृष्टांत **चन्द्रभानसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ एम 0पी0 2011 आई0एल0आर0 वोल्यूम-3 एम0पी0 एन0ओ0सी0 79** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा-307 भा0द0वि0 के अपराध के प्रमाणन हेतु चोट का धारा-300 के प्रवर्ग के अंतर्गत आना आवश्यक है और हस्तगत मामले में उक्त प्रावधान आकर्षित होता है अतः चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर आहत सुरेन्द्रसिंह की चोट प्राण घातक होना प्रमाणित होती है और बचाव पक्ष का यह तर्क विधिक महत्व नहीं रखता है कि ग्वालियर में हुए उपचार से संबंधित प्रमाण पेश न होने या चिकित्सक द्वारा चोट को प्राण घातक न बताये जाने से चोट की प्रकृति के बारे में कोई शका है। इसलिये बचाव पक्ष का तर्क इस बिन्दु पर मान्य किये जाने योग्य नहीं रह जाता है।

22. अब प्रकरण में यह विचार करना होगा कि क्या आहत सुरेन्द्रसिंह को कारित हुई चोट आरोपी देशराज के द्वारा ही आग्नेय शस्त्र से पहुंचाई गई तथा उस पर प्राणघातक हमला किये जाने के अपराध में आरोपिया श्रीमती दीपा का देशराज के साथ मिल कर कोई आपराधिक षडयंत्र भी था। यह अभिलेख पर आई प्रत्यक्ष साक्ष्य व परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकित करना होगा। अन्य परीक्षित साक्षियों में से ए0एस0आई0 हरगोविन्दसिंह परमार अ0सा0-1 के द्वारा उक्त घटना के संबंध में प्र0पी0-4 की देहाती नालिसी रिपोर्ट के आधार पर प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करना और प्र0पी0-2 का मुलाहिजा फॉर्म भरना बताया है जिसके अभिसाक्ष्य के संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह बताया गया है कि आहत सुरेन्द्र अस्पताल में बेहोश नहीं था और पूछने पर एक ही चोट बताई थी। तथा साक्षी देवेन्द्रसिंह अ0सा0-2 के द्वारा भी सुरेन्द्र को अस्पताल में होश होकर बोलना बताया गया है।

23. प्र0पी0-4 की देहाती नालिसी रिपोर्ट लिखने वाले उपनिरीक्षक एस0एस0 सिकरवार अ0सा0-3 ने भी गोहद अस्पताल में पहुंचकर फरियादी सुरेन्द्रसिंह के बताये अनुसार देहाती नालिसी रिपोर्ट लेखबद्ध करना कहा है तथा चिकित्सक

संतोष सोनी अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य के आधार पर कि उसे छूने पर दर्द था, आहत को होश में होना, उसके द्वारा अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जाने और घटना अज्ञात के द्वारा ही कारित किये जाने के आधार को बल मिलने से मामला संदिग्ध माने जाने का तर्क किया गया है और इस संबंध में आरोपिया दीपा वा0सा0-1 के द्वारा भी अपने अभिसाक्ष्य में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सुरेन्द्र पर गोली चलाये जाने के संबंध में पुलिस को प्र0पी0-8 का बयान देना बताया है। उनका यह भी तर्क है कि पुलिस द्वारा की गई जांच और अनुसंधान में भी गोली मारने वाले अज्ञात रहे हैं। जैसा कि साक्षी वीरेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह के द्वारा पुलिस को बताया गया है। इसलिये आरोपी देशराज से जमीन संबंधी रंजिश और दीपा से पारिवारिक विवाद के चलते झूठा परिवाद किये जाने का तर्क किया गया है। जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा तर्कों में खण्डन किया गया है। और यह कहा है कि पुलिस द्वारा जांच न करने पर परिवाद किया गया और परिवाद पर से न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है और विचारण किया गया है। इसलिये पुलिस कार्यवाही को आधार मानकर निराकरण किया जाना विधिसम्मत नहीं है बल्कि न्यायालय में जो साक्ष्य आई है उसके आधार पर निराकरण किया जाना चाहिए।

24. यह निर्विवादित स्थिति है कि फरियादी सुरेन्द्रसिंह तोमर को जो गोली लगी थी, उसके संबंध में पुलिस द्वारा जो कार्यवाही की गई, उसमें घटना कारित करने वाले अज्ञात मानते हुए दर्ज किये गये अप0क्र0-117/10 में थाना एण्डोरी द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई न अभियोग पत्र पेश किया गया। तत्पश्चात प्राईवेट परिवाद पर से मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही की गई है और विचारण किया गया है। ऐसे में पुलिस की कार्यवाही को प्रकरण के निराकरण का आधार नहीं माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा लिये गये साक्षियों के कथनों और अन्य संकलित साक्ष्य व सामग्री के आधार पर न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य को मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है बल्कि अभिलेख पर प्रस्तुत अभियोगी की साक्ष्य एवं परिस्थितियों और बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व परिस्थितियों व लिये गये आधारों को समेकित रूप से मूल्यांकन में लेकर निराकरण करना होगा।

25. यह सही है कि दाण्डिक मामलों में अभियोगी पर भी मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का भार होता है और जब तक आरोपी दोषसिद्ध न हो जाये वह निर्दोष मानकर ही चला जाता है। जैसाकि न्याय दृष्टांत **विजयसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 ए0आई0आर0 1990 सुप्रीमकोर्ट पेज-1459** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये अभिलेख पर अभियोजन की साक्ष्य के आधार पर यह विनिश्चित करना होगा कि क्या अभियोगी द्वारा जो मामला प्रस्तुत किया गया है वह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है अथवा नहीं?

26. चूंकि प्र0पी0-4 की देहाती नालिसी जिसके आधार पर प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 लिखी गई उस पर से कोई मामला पुलिस द्वारा नहीं बनाया गया है। इसलिये उसमें घटना कारित करने वाले अज्ञात व्यक्ति होने का निश्चायक रूप से स्थापित नहीं माना जा सकता है। अभिलेख पर जो साक्ष्य पेश हुई है, उसके मुताबिक घटनास्थल से परिवादी सुरेन्द्रसिंह को अस्पताल गोहद लाया गया था। गोहद अस्पताल में ही एस0आई0 एस0एस0 सिकरवार अ0सा0-3

थाना प्रभारी एण्डोरी की हैसियत से घटना की सूचना मिलने पर मय पुलिस बल पहुंचा था और वहीं देहाती नालिसी लिखी गई। ऐसे में थाने पर मुलाहिजा फॉर्म प्र0पी0-2 कैसे तैयार हुआ। इसका कोई स्पष्टीकरण हरगोविन्दसिंह परमार अ0सा0-1 के द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिये उसकी कार्यवाही कोई स्थिति स्पष्ट नहीं करती है। अतः अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आहत अस्पताल गोहद में होश में था या बेहोशी में था। इसलिये अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य के आधार पर बचाव पक्ष के आधार का समर्थन नहीं माना जा सकता है। बल्कि उससे भी इस बात की पुष्टि अवश्य होती

27. देवेन्द्र अ0सा0-2 जिसने कि पक्ष विरोधी होते हुए परिवादी की कहानी का समर्थन नहीं किया है और प्र0पी0-3 का कथन पुलिस को देने से इन्कार करते हुए इस बात से इन्कार किया है कि मारने वाले अज्ञात थे और मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे जिनका उसने एक खेत तक पीछा भी किया था। उसके अभिसाक्ष्य से भी गोली मारकर फरियादी को घायल किये जाने की ही पुष्टि होती है और वह घटना के एक घण्टे बाद मौके पर जाना कहता है। किन्तु उसके द्वारा इस बिन्दु का समर्थन अवश्य किया गया है कि घटना 22.11.10 की ही है और मंदिर के पास की है जहाँ सुरेन्द्र को गोली लगी थी। इसलिये परिवाद में जो घटनास्थल बताया जा रहा है, उसका समर्थन अवश्य अ0सा0-2 व 3 से भी होता है। तथा नक्शामौका प्र0पी0-5 जिसे अ0सा0-3 द्वारा तैयार किया गया है उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि घटना मंदिर के पास ही घटित हुई है। इसलिये देवेन्द्र सिंह के समर्थन न करने से परिवादी के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। और उसके द्वारा पैरा-5 में की गई यह स्वीकारोक्ति कि परिवादी सुरेन्द्र और साक्षी महेन्द्र आपस में सगे भाई हैं। राजेश, वीरेन्द्र भी उसी गांव के होकर आपस में भाईबंद हैं। दीपा परिवादी की पत्नी है तथ दीपा का फरियादी सुरेन्द्र से दहेज के संबंध में विवाद चल रहा था। पूर्व में भी उनके बीच ग्वालियर न्यायालय में मामला चला है और दीपा देशराज की चाची लगती है जिसने दीपा को दहेज के मामले में उसे सहारा दिया था जिस पर से आरोपी व फरियादी के मध्य बुराई है। इससे घटना के पूर्व से आरोपीगण और फरियादी सुरेन्द्र के मध्य रंजिश का बिन्दु उत्पन्न होना स्थापित होता है। जैसा कि परिवादी का भी कहना रहा है और आरोपीगण का भी बचाव का आधार है किन्तु रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार की तरह होता है जो दोनों तरफ से बार करती है अर्थात् जहां एक और रंजिश झूठा फंसाये जाने की संभावना रहती है वहीं दूसरी ओर यह भी संभव है कि रंजिश के कारण ही घटना कारित की जाये जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रूली एवं अन्य वि० हरियाणा राज्य 2002 एस०सी०सी० (किमनल) पेज 1837 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

28. एस०एस० सिकरवार अ0सा0-3 के द्वारा प्र0पी0-4 की देहाती नालिसी प्र0पी0-5 का नक्शामौका और प्र0पी0-6 के जप्ती पत्रक के द्वारा फरियादी सुरेन्द्र का घटना के समय पहना हुआ मटमैले रंग का पेन्ट, खून लगा हुआ होने जिसमें बाईं तरफ गोली लगने से छेद था, एक हल्के कथई रंग का शॉल जिसमें भी खून लगा था, उसे फरियादी के परिजनों के प्रस्तुत करने पर जप्त करना बताया है और प्र0पी0-7 के जप्ती पत्रक अनुसार उसने घटनास्थल से खून आलूदा व

सादा मिट्टी भी जप्त करना बताया है। हालांकि सतेन्द्रसिंह अ0सा0-5 ने प्र0पी0-5 लगायत 7 के दस्तावेजों का समर्थन पक्ष विरोधी होते हुए नहीं किया है।

29. चूंकि द्वारा कोई मामला अनुसंधान पश्चात पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश नहीं किया गया है इसलिये अ0सा0-3 के द्वारा परिवादी के जप्त किये गये खून आलूदा कपड़े, घटनास्थल से जप्त सादा व खून आलूदा मिट्टी की एफ0एस0एल0 से जांच न होने का कोई दुष्प्रभाव नहीं माना जा सकता है और उसके आधार पर बचाव पक्ष के आधार को बल प्राप्त नहीं होता है इसलिये प्र0पी0-4 लगायत 7 की कार्यवाही से संबंधित साक्षी उपनिरीक्षक एस0एस0 सिकरवार अ0सा0-3 व सतेन्द्रसिंह अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और न ही उनके आधार पर विनिश्चित किया जा सकता है कि फरियादी के साथ जो घटना घटित हुई वह दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ही कारित की गई जैसाकि बचाव पक्ष का आधार है।

30. वीरेन्द्रसिंह अ0सा0-4 के द्वारा भी परिवादी का समर्थन नहीं किया गया है और उसने घटना के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी से इन्कार किया है। उसके द्वारा परिवाद की जांच के दौरान दिया गया धारा-202 दप्रसं के प्र0पी0-8 ए के कथन से भी इन्कार किया है और वह आरोपीगण व परिवादी दोनों पक्षों को जानता है और उसका प्रारंभ में ही यह कहना रहा है कि वह उसके गांव का होकर पड़ोसी है तथा वह सभी ठाकुर जाति के हैं। पैरा-3 में भी उसने आरोपीगण और फरियादी के आपसी रिश्तों तथा उनके बीच की रंजिश की स्वीकारोक्ति करते हुए पुलिस को दिये गये धारा-161 दप्रसं के कथन प्र0डी0-1ए की बातों को सही होना कहा है जिसको सही मानते हुए प्रकरण में कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि ऐसे कथनों के आधार पर भी अभियोजन द्वारा मामला न बनाये जाने के आधार पर प्राइवेट परिवाद के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है और कार्यवाही की गई है। उक्त साक्षी के द्वारा उपार्पण न्यायालय के समक्ष दिये गये प्र0पी0-8 के कथन से भी इन्कार कर दिया गया है। जबकि धारा-202 दप्रसं का कथन दिनांक 13.04.11 को उक्त साक्षी वीरेन्द्र के द्वारा उपार्पण न्यायालय में इस आशय का स्पष्ट कथन दिया गया था कि दिनांक 22.11.10 के शाम करीब साढ़े सात बजे हनुमान मंदिर के पास गोली चलने की आवाज पर वह मौके पर गया था और राजेश, महेन्द्र व जितेन्द्र भी भागकर मौके पर पहुंचे थे। सुरेन्द्र को बेहोश पड़ा हुआ देखा था। उसे उठाकर सरकारी अस्पताल गोहद लाये थे। जहाँ से उसे ग्वालियर रिफर किया गया था और सुरेन्द्र को दो दिन बाद होश आया था। तब उसने उसे बताया था कि उसे देशराज ने गोली मारी है और देशराज झूठ बोल रहा था कि कोई दुश्मन गोली मार गया है। जबकि गोली उसी ने मारी थी। तथा देशराज व दीपा के अवैध संबंध थे और घटना के एक महीने पहले जब दीपा गांव में आई थी तो उसने सुरेन्द्र से जमीन बेचने को कहा था कि यदि जमीन नहीं बेची तो वह मरवा देगी और दोनों ने मिलकर षडयंत्र रचा है जिससे वह आरोप पश्चात अ0सा0-4 के रूप में दिये गये अभिसाक्ष्य में अवश्य मुकर गया है।

31. पक्ष विरोधी साक्षी के संबंध में यह सुस्थापित वैधानिक स्थिति है कि स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने के कई अज्ञात

कारण हो सकते हैं। वर्तमान समय में लोगों में एक दूसरे के मामले में न पड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसलिये ऐसे स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन न करने के आधार पर संपूर्ण मामले को न तो त्यागा जा सकता है न ही अविश्वसनीय माना जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **अप्पा भाई एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए0आई0आर0 1998 सुप्रीमकोर्ट पेज-699** में दिया गया मार्गदर्शन अवलोकनीय है। जो साक्षी वीरेन्द्र की अभिसाक्ष्य के संबंध में प्रकरण में लागू किये जाने योग्य है। इसलिये वीरेन्द्र के पक्ष विरोधी होने के आधार पर बचाव पक्ष को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है न ही अभियोजन के मामले को पूरी तरह से अग्राह्य किया जा सकता है। यह अवश्य है कि महत्वपूर्ण साक्षियों के समर्थन न करने की दशा में फरियादी सहित शेष साक्षियों के अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हो जाता है।

32. सुरेन्द्रसिंह अ0सा0-6 वह साक्षी है जिसके द्वारा फरियादी को घायल अवस्था में अन्य लोगों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया गया था। उसने अपने अभिसाक्ष्य में इस बात का तो समर्थन किया है कि फरियादी सुरेन्द्र को उसके भाई मन्नू जिसे आगे मन्नू उर्फ महेन्द्र अ0सा0-9 के रूप में प्रस्तुत किया गया है वह और आरोपी देशराज घायल अवस्था में ट्रैक्टर में रखकर उसके दरवाजे के सामने आये थे और अस्पताल ले जा रहे थे। तथा देशराज के कहने पर वह सहयोग के लिये उनके साथ शासकीय अस्पताल गोहद आया था। जहाँ डॉक्टरों ने सुरेन्द्र की पट्टी की थी, इलाज किया था और चिकित्सक ने यह कहा था कि सुरेन्द्र यहाँ ठीक नहीं हो पायेगा इसलिये वे उसे ग्वालियर अस्पताल ले जावें फिर वह ग्वालियर ले गये थे जहाँ सुरेन्द्र का इलाज हुआ था। दूसरे दिन वह वापिस आ गया था। उसे यह जानकारी नहीं है कि सुरेन्द्र को गोली किसने और कैसे मारी। उसका यह भी कहना है कि घटना के समय जब सुरेन्द्र के गोली लगी थी तब वह गांव के बाहर अपने खेतों पर बने हुए मकान पर था और सुरेन्द्र व उसकी पत्नी को लेकर विवाद हुआ हो तो उसे जानकारी नहीं है। वह यह भी स्वीकार करता है कि आरोपी फरियादी दोनों पक्ष उसके लिये समान हैं और वह किसी भी प्रकार की बुराई भलाई में पड़ना नहीं चाहता है जैसा कि उपरोक्त वर्णित न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित है। वह इस साक्षी के बारे में भी प्रकरण में लागू किये जाने योग्य है क्योंकि वह भी बुराई भलाई के विवाद में पड़ना नहीं चाहता है। और चूंकि उक्त घटना फरियादी सुरेन्द्र और आरोपीगण जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, बल्कि दीपा तो फरियादी की पत्नी ही है, ऐसे में उक्त साक्षी उनके मध्य के विवाद से दूर रहना ही प्रकट होता है। इसलिये उसके आधारपर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और उक्त साक्षी महत्वहीन है। उसके द्वारा पैरा-3 में यह कहना कि घटना के समय सुरेन्द्र अच्छी तरह से बात कर रहा था और पूछने पर उसने किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मारना बताया तथा देशराज व मन्नू के द्वारा बचाना बताया, यह तो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि उसके मुताबिक तो वह मौके पर ही नहीं गया बल्कि जब फरियादी को अस्पताल ले जाया जा रहा था और उसके दरवाजे के सामने से निकले तब देशराज के कहने पर वह सहयोग के लिये गया था। ऐसे में देशराज के प्रति उसकी सद्भावना झलकती है और वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इसलिये पैरा-3 का वृत्तांत ग्राह्य किये जाने योग्य है। इससे भी बचाव पक्ष को

कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

33. साक्षी रामवरन अ0सा0-10 के द्वारा इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि दिनांक 22.11.10 को शाम के करीब सात साढ़े सात बजे अचानक गोली की आवाज सुनकर वह हनुमान जी के मंदिर पर गया था। वहाँ भीड़ थी तब उसने सुरेन्द्र के पैर में गोली लगी हुई देखी थी। उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गये थे। इस घटना के संबंध में उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। प्र0पी0-10 का बयान देने से उसने पक्ष विरोधी होते हुए इन्कार किया है। केवल इस बात की स्वीकारोक्ति उसने की है कि घटनास्थल से उसने सुरेन्द्र को उठवाकर ट्रैक्टर में रखवाया था और ट्रैक्टर से बाराहेड तक लाये थे और बाराहेट से प्राईवेट जीप से गोहद अस्पताल ले गये थे। उस समय देवेन्द्र, महेन्द्र, देशराज साथ में थे और सुरेन्द्र को ग्वालियर रिफर किया गया था। तब वह साथ में गया था। इस साक्षी के अभिसाक्ष्य के पैरा-2 के आगे प्रश्न के रूप में कथन लिया गया है। प्रश्न नोट ओर निष्कर्ष जिस रूप में लिखे गये हैं, उसमें उत्तर को प्रश्न लिख दिया गया है इसलिये प्रश्न के रूप में उल्लेखित यह बात 'यह सही है कि घटनास्थल पर मेरे पहुंचने के पहले ही सुरेन्द्र बेहोश हो गया था और उसे ग्वालियर अस्पताल में होश आया था' ग्रहण किया जाये जिस पर बचाव पक्ष की आपत्ति अस्वीकार कर प्रश्न की अनुमति दी गई थी जिससे साक्षी मौके पर फरियादी के बेहोश होने की बात का समर्थन करता है। जैसा कि स्वयं फरियादी सुरेन्द्रसिंह तोमर अ0सा0-8, उसके भाई महेन्द्रसिंह अ0सा0-9 व राजेश अ0सा0-11 ने भी कहा है।
34. अ0सा0-10 को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। किन्तु प्रत्येक पक्ष विरोधी साक्षी के संबंध में यह आम धारणा नहीं बनाई जा सकती है कि उसका संपूर्ण अभिसाक्ष्य ही अस्वीकार किया जाये क्योंकि भारत में यह सूक्ति कि एक बात में मिथ्या तो सब बातों में मिथ्या लागू नहीं है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **रामदास काछी विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 आई0एल0आर0 2012 भाग-1 एम0पी0 पेज-207** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी लैण्डमार्क जज्मेन्ट **खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 ए0आई0आर0 1991 एस0सी0 पेज-1853** में प्रतिपादित सिद्धान्त भी अवलोकनीय है जिसमें यह बताया गया है कि यदि साक्षी पक्ष विरोधी हो जाये तो उसकी संपूर्ण साक्ष्य निरर्थक नहीं होती है और ऐसी दशा में न्यायालय को सामान्यतः ऐसे साक्षियों के कथनों की पुष्टि देखनी चाहिए। न्याय दृष्टांत **गुरुप्रीतसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ हरियाणा (2002) वोल्यूम-8 एस0सी0सी0 पेज-18** में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी साक्षी के मात्र पक्ष विरोधी घोषित होने से उसकी पूरी साक्ष्य निरस्त नहीं की जा सकती है। न्यायालय को सतर्कता से छानबीन करके ऐसी साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए और समर्थित साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। न्याय दृष्टांत **तूफानसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2005 भाग-1 एम0पी0एल0जे0 पेज-412** में भी माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्ष विरोधी साक्ष्य की साक्ष्य पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं की जा सकती है। यदि उसकी साक्ष्य का कुछ भाग अभियोजन

के मामले का समर्थन करता है और वह सही पाया जाता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है।

35. प्रकरण में पक्ष विरोधी घोषित हुए साक्षियों में आरोपीगण और फरियादी के मध्य रंजिश चली आना, विवाद होना, घटना में फरियादी को गोली लगने की बात लगभग सभी साक्षियों ने बताई है, परिव्रादी को अस्पताल ले जाये जाने वाली बात भी बताई गई है। होश में होने और बेहोश होने के संबंध में अवश्व विरोधाभाष है किन्तु मौके पर बेहोश होने की पुष्टि जहाँ अ0सा0-8 लगायत 11 के अभिसाक्ष्य से होती है वहीं दूसरी ओर चिकित्सक संतोष सोनी अ0सा0-7 से भी मानी जा सकती है जिसमें वह आहत को छूने में दर्द बताता है।

36. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्र0पी0-1 लगायत 4 और अ0सा0-4 एवं 7 के कथनों के आधार पर फरियादी के होश में होने, पूर्ण सचेत अवस्था में रिपोर्ट लिखाये जाने के संबंध में तर्क किया गया है किन्तु उसके आधार पर होश में होने की पुष्टि नहीं मानी जा सकती है क्योंकि यदि चिकित्सक के छूने पर दर्द महसूस हुआ तो उससे यह नहीं माना जा सकता है कि आहत होश में था क्योंकि डॉ० सोनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आहत की हालत नाजुक थी, उसका रक्तचाप कम था और हालत गंभीर होने के आधार पर उसने रिपोर्ट की थी। चिकित्सक का न तो ऐसा कहना रहा है न बचाव पक्ष द्वारा पूछा गया है कि उसने प्राथमिक उपचार के दौरान आहत से कोई बातचीत की हो और घटना के संबंध में कोई हिस्ट्री प्राप्त की हो। इसलिये अ0सा0-10 के पक्ष विरोधी होने के बावजूद उसके इस अभिसाक्ष्य को फरियादी की समर्थित साक्ष्य माना जा सकता है जिसमें वह घटनास्थल पर अपने पहुंचने के पहले ही फरियादी के बेहोश होने और ग्वालियर अस्पताल में होश आना कहता है जिसकी पुष्टि उसके पैरा-3 से भी होती है जिसमें उसने यह स्पष्ट किया है कि घटनास्थल से ट्रैक्टर में ले जाते समय सुरेन्द्र से उसकी बातचीत नहीं हुई थी और गोहद अस्पताल में पुलिस अवश्य आई थी। किन्तु लिखापढी हुई या नहीं हुई और फरियादी सुरेन्द्र के पुलिस ने कोई हस्ताक्षर कराये या नहीं कराये, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने इस बात का भी समर्थन नहीं किया कि अस्पताल में सुरेन्द्र बोल रहा था। हालांकि वह इस संबंध में पता न होना कहता है जिससे यह स्पष्ट है कि वह अस्पताल के बाहर ही रहा हो जब पुलिस आई हो। और वह जीप से सुरेन्द्र का ग्वालियर लेकर भी जाना पैरा-3 में बताता है जो बचाव पक्ष के पूछने पर ही बताया है। तब भी उसके द्वारा यही कहा गया कि सुरेन्द्र ने उसे कुछ भी नहीं बताया था और वह पीछे बैठा था इससे भी बेहोश बने रहने की पुष्टि हो रही है। हालांकि पैरा-4 में वह यह अवश्य स्वीकार करता है कि रिपोर्ट लिखते समय देशराज, महेन्द्र, देवेन्द्र, व सुरेश भी था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी व फरियादीगण के मध्य जमीन संबंधी विवाद है और आरोपी दीपा व फरियादी सुरेन्द्र के मध्य भी कोई विवाद चल रहा है या नहीं।

37. अ0सा0-10 का पैरा-4 में रिपोर्ट के समय आरोपी देशराज की मौजूदगी होना बचाव पक्ष की ओर से पूछने पर बताया गया है और फरियादी सुरेन्द्र के द्वारा अपने अ0सा0-8 के रूप में दिये गये अभिसाक्ष्य में यही आक्षेप किया गया है कि वह अस्पताल में बेहोश था और देशराज ने पुलिस से मिलकर अज्ञात के

विरुद्ध गलत रिपोर्ट लिखा दी थी। और मौके पर भी वह यह गलत रूप से कह रहा है कि दुश्मन गोली मार गया है और वह पुलिस को रिपोर्ट लिखाने से इन्कार करता है और उसने स्वाभाविक रूप से साक्ष्य देते हुए देहाती नालिसी रिपोर्ट प्र०पी०-4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। किन्तु हस्ताक्षर स्वीकार कर लेने से यह नहीं माना जा सकता है कि प्र०पी०-4 की रिपोर्ट वास्तव में ही सही लिखी गई है क्योंकि उसे चुनौती देते हुए ही उसने पहले पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को प्र०पी०-9 की लेखी शिकायत की और कार्यवाही न होने पर प्राइवेट परिवाद किया। ऐसी स्थिति में अ०सा०-10 के पक्ष विरोधी होने मात्र से कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है।

38. निरीक्षक योगेन्द्रसिंह अ०सा०-11 ने अपने अभिसाक्ष्य में थाना एण्डोरी में पंजीबद्ध किये गये अप०क्र०-117/10 जैसाकि प्र०पी०-1 में उल्लेखित है, उसकी विवेचना में देशराज, दीपा और महेन्द्र के ही कथन लेना बताया गया है जबकि वर्तमान परिस्थितियों में देशराज और दीपा तो प्रकरण में आरोपीगण के रूप में विचाराधीन हैं। इसलिये उनके कथनों का विधिक महत्व नहीं है और चूंकि पुलिस द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया है न ही अभियोग पत्र पेश किया गया है इसलिये सेवानिवृत्त निरीक्षक आर०एस० भदौरिया अ०सा०-13 जो कि दिनांक 01.07.11 को थाना प्रभारी एण्डोरी के पद पर पदस्थ था जिसके द्वारा भी आंशिक विवेचना में सुरेश, वीरेन्द्रसिंह व देवेन्द्रसिंह के कथन लेते हुए अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य न मिलने से एफ०आर० कता किया जाना बताया है। इससे भी किसी बिन्दु पर कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एफ०आर० स्वीकृत हुई या नहीं हुई उसकी उसे जानकारी नहीं है। न ही प्रकरण में उसके संबंध में कोई साक्ष्य आई है। ऐसे में अ०सा०-12 एवं 13 के अभिसाक्ष्य का कोई विधिक महत्व नहीं रहता है। अ०सा०-13 इसलिये भी निरर्थक साक्षी है क्योंकि उसके द्वारा अनुसंधान में फरियादी या किसी भी साक्षी का धारा-161 दफ़्तरी के अंतर्गत कथन नहीं कराया गया है न ही उसने जो कथन लेखबद्ध किये उसमें घटना कारित करने वालों का कद, काठी, हुलिया तथा आहत के बारे में कोई जानकारी संकलित की न ही संदेह के आधार पर किसी की शिनाख्त कराई और फरियादी के स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाने के पश्चात भी उससे कोई पूछताछ कर मजरूह कथन नहीं लिया। ऐसे में अ०सा०-12 एवं 13 की कार्यवाही का कोई विधिक मूल्य नहीं है और उसके आधार पर कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

39. अब प्रकरण में फरियादी सुरेन्द्रसिंह अ०सा०-8, उसके भाई महेन्द्र अ०सा०-9 और राजेश अ०सा०-11 जो कि ग्राम बरौना के ही निवासी हैं और उनकी आरोपी देशराज से चुनावी रंजिश है उनके कथन शेष हैं जिन पर बचाव पक्ष के द्वारा हितबद्ध होना व रिश्ते के साक्षी होने के आधार पर अविश्वास किये जाने की प्रार्थना भी की गई है किन्तु यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी साक्षी पर केवल रिश्ते के साक्षी होने के आधार पर न तो अविश्वास किया जा सकता है न ही उसकी साक्ष्य को त्यागा जा सकता है। बल्कि ऐसे साक्षियों की सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत भागलाल लोधी विरुद्ध स्टेट ऑफ यू०पी० ए ०आई०आर० 2011 एस०सी० पेज-2292 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है

इसलिये मामला प्राइवेट परिवार पर आधारित होने और फरियादी सुरेन्द्रसिंह व महेन्द्र सिंह के सगे भाई होने से उनके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता हो जाती है। किन्तु उनके मूल्यांकन के पूर्व राजेश अ0सा0-11 का मूल्यांकन किया जाना उचित होगा।

40. राजेशसिंह अ0सा0-11 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि दिनांक 22.11.10 को हनुमान मंदिर के पास से गोली चलने की आवाज आने पर वह भागकर वहाँ पहुँचा था। वीरेन्द्र मिश्रा भी गये थे और देखा था कि सुरेन्द्र के बांये पैर में गोली लगी है और बेहोश पड़ा है फिर वह उसे अस्पताल लाये थे। हालत गंभीर होने से ग्वालियर रिफर किया गया था। ग्वालियर लेकर गये थे जहाँ दो दिन बाद सुरेन्द्र को होश आया था तब उसने देशराज के द्वारा गोली मारना बताया था। सुरेन्द्र ने यह भी बताया है कि उसकी पत्नी दीपा ने उसे धमकी दी थी कि एक महीने में वह उसको मरवा देगी जिसके संबंध में उसका अधीनस्थ न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में भी कथन होना वह बताता है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका भाई वकील सिंह ग्राम पंचायत बरौना का सरपंच है जिसके विरुद्ध आरोपी देशराज ने भी सरपंच की का चुनाव लड़ा था और देशराज हार गया था तथा उसका मकान फरियादी सुरेन्द्र के मकान से चार पांच मकान छोड़कर ही है। गोली चली थी। तब वह घर पर काम कर रहा था और उस समय अंधेरा हो गया था। जब वह पहुँचा तब उसके आगे वीरेन्द्र था। महेन्द्र और वह साथ साथ गये थे और मौके पर उन्हें कोई नहीं मिला। सुरेन्द्र बेहोश था। सुरेन्द्र के गोली लगते हुए उसने स्वयं नहीं देखा। इसलिये नहीं बता सकता कि आगे से मारी या पीछे से मारी। किन्तु इसके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चिकित्सक डॉ0 सोनी अ0सा0-7 ने विशेषज्ञ के तौर पर यह स्पष्ट किया है कि गोली सामने से मारी गई थी। इसलिये उक्त साक्षी का इस संबंध में अनुभिज्ञता प्रकट करना कोई संदेह उत्पन्न नहीं करता है।

41. अ0सा0-11 राजेश सिंह ने पैरा-4 में यह भी कहा है कि जब वह मौके पर पहुँचे थे तो देशराज मौके पर नहीं था, आधा घण्टे बाद आया था। जब ट्रैक्टर से अस्पताल सुरेन्द्र को लाये थे। रास्ते में भी सुरेन्द्र बोल नहीं रहा था। अस्पताल में सुरेन्द्र ने डॉक्टर से और उससे बात की थी और जब ग्वालियर अस्पताल ले जाया गया तब देशराज साथ में नहीं गिज़। पुलिस ने गोहद अस्पताल में लिखापट्टी की थी। किन्तु सुरेन्द्र ने लिखापट्टी पर हस्ताक्षर या अंगूठा नहीं किया था। वह बेहोश था और उसे 24 तारीख को दिन के 11.00 बजे होश आया था। वह दो दिन अस्पताल में रुका था। दीपा ग्वालियर अस्पताल में नहीं आई थी। होश आने पर वह अस्पताल से वापिस आस गया था और ग्वालियर अस्पताल में सुरेन्द्र ने उसे दीपा के द्वारा धमकी देने वाली बात बताई थी जो उसने प्र0डी0-4 के धारा-202 दफ़्तर के कथन के समय की बताना कही है। हालांकि वह प्र0डी0-4 में उल्लेखित नहीं है। मौके पर उसके वीरेन्द्र और महेन्द्र के उपस्थित रहने वाली बात भी उसने प्र0डी0-4 में लिखाना कही है। पैरा-7 में उसने यह बताया है कि उसे सुरेन्द्र ने अस्पताल में जो घटना बताई थी उसी आधार पर उसने बयान दिया है और सुरेन्द्र व देशराज के मध्य पारिवारिक लड़ाई चल रही है। हो सकता है कि उसे लड़ाई के कारण ही सुरेन्द्र ने देशराज के द्वारा गोली मारने की बात बताई हो। सुरेन्द्र और देशराज एक ही परिवार के

हैं उनके मध्य जमीन विवाद के एक दूसरे पर केस चल रहे हैं, रिपोर्ट हैं। कुछ मामलों में राजीनामा भी हो गया है ऐसा उक्त साक्षी ने पैरा-7 में यह बताया है।

42. उक्त साक्षी राजेश अ0सा0-11 ने पैरा-8 में यह स्वीकार किया है कि हो सकता है कि सुरेन्द्र ने रंजिश के कारण देशराज का नाम लिया हो। यह भी स्वीकार किया है कि उसके भाई के चुनाव में सुरेन्द्र सिंह ने समर्थन दिया था इसलिये वह सुरेन्द्र के पक्ष में बयान दे रहा है। इस प्रकार से उक्त साक्षी के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से हितबद्धता का जो आधार लिया गया है, उसकी पुष्टि उसके अभिसाक्ष्य से होती है क्योंकि उसके भाई वकीलसिंह और आरोपी देशराज के मध्य सरपंची का चुनाव लड़ा गया था जिसमें उसके भाई जीत गये थे देशराज हार गया था। चुनाव में फरियादी ने उसका समर्थन किया था इसी कारण वह उसके पक्ष में बयान देने की बात कहता है और वह मौके पर बाद में भी पहुंचा। फरियादी सुरेन्द्र द्वारा ही उसे घटना के विषय में घटनाकारित करने वाले आरोपी के रूप में देशराज का नाम बताया। देशराज उसे मौके पर ही नहीं मिला था। आधा घण्टे बाद आया था। ऐसे में उक्त साक्षी का अभिसाक्ष्य अवश्य पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है और उसकी आरोपी के प्रति राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता के चलते द्वेष भाव की परिस्थिति उत्पन्न होना प्रकट होती है। उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य को संपुष्टि कारक साक्ष्य के रूप में अनुश्रुत साक्षी की हैसियत से तभी उपयोगी माना जा सकता है जबकि फरियादी सुरेन्द्र को विश्वसनीय माना जावे और फरियादी सुरेन्द्र के द्वारा उक्त साक्षी को जानकारी देना व सही जानकारी देना माना जायेगा। यदि उक्त साक्षी को अविश्वसनीय भी ठहराया जाये तब भी अ0सा0-8 व 9 की साक्ष्य संपुष्टिकारक होकर विश्वसनीय पाई जाये तो उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। क्योंकि धारा-134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में यह स्पष्ट उपबंध है कि किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है अर्थात् एकल साक्ष्य पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। हस्तगत मामले में तो उक्त प्रावधान अधिक बल रखता है क्योंकि संपूर्ण मामला ही निजी परिवाद पर आधारित है। एकल साक्ष्य के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **मुन्ना विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2002 एम0पी0एल0जे0 पेज-142** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक साक्ष्य की स्थिति में यदि साक्षी का अभिसाक्ष्य विश्वसनीय है तो उस पर दोषसिद्धि की जा सकती है। इसलिये मूलतः घटना के आहत सुरेन्द्र अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य को ही केन्द्र बिन्दु में रखकर उसके अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन विचाराधीन घटना के संदर्भ में करना होगा।

43. इस संबंध में आहत सुरेन्द्रसिंह तोमर अ0सा0-8 ने स्वीकृत तथ्यों के अलावा अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि दिनांक 22.11.10 के शाम करीब साढ़े सात बजे वह गांव में हनुमान मंदिर के पास पेशाब करने गया था वहाँ तीन लोग खड़े थे उनमें से दो को वह नहीं जानता है। तीसरा आरोपी देशराज था। दो अज्ञात में से एक ने उसका नाम पूछा था कि सुरेन्द्रसिंह तुम्हारा नाम है तब उसने बताया था कि हाँ मेरा नाम सुरेन्द्रसिंह है। उस पर देशराज ने कटुते से उसके बांये पैर में फायर कर दिया था जो कमर में नीचे जांघ में लगा था। गोली लगने से खून निकलने लगा था और वह गिर पड़ा था। फिर तीनों भाग गये थे।

उसने अपने भाई महेन्द्र को आवाज लगाई थी उसकी आवाज सुनकर महेन्द्र, वीरेन्द्र और राजेश मौके पर आये थे। उन्हें आता देखकर वह बेहोश हुआ था। फिर वह उसे गोहद अस्पताल ले गये थे। उसके बाद ग्वालियर अस्पताल ले गये थे। दो दिन बाद उसे ग्वालियर अस्पताल में होश आया था। अस्पताल में थाना एण्डोरी का एक पुलिस कर्मी आया था और उसने एक कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। उसने यह भी कहा था कि उसके भाई वगैरा अभी मौजूद नहीं हैं, रुक जाईये तो पुलिस वाले ने यह कहा था कि वह उसी के काम से आया है और उसकी कार्यवाही को आगे बढ़ायेगा इसलिये पुलिस वाले के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। उस समय वह लिखा हुआ था या कोरा था, यह उसे ध्यान नहीं है। उसके बाद महेन्द्र व वीरेन्द्र अस्पताल में आये थे। उनको उसने बताया था कि उसे देशराज ने ही कट्टे से फायर करके गोली मारी है। उस समय देशराज अस्पताल में ही था और उक्त बात के बाद वह भाग गया था। उसने घटना के संबंध में प्र०पी०-९ की लेखी रिपोर्ट भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पुलिस निरीक्षक चंबल रेंज ग्वालियर को करना बताते हुए कहा है कि पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर परिवाद किया था। साक्षी ने पैरा-५ में यह स्वीकार किया है कि वह बिल्कुल पढा-लिखा नहीं है।

44. मूल घटना के संबंध में पैरा-८ में उसने आरोपी देशराज से जमीन संबंधी विवाद से इन्कार करते हुए यह कहा है कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन सब बराबर बराबर खेती करते हैं और प्र०पी०-९ की शिकायत उसके भाई महेन्द्र ने तैयार कराई थी। किससे लिखवाई इसकी उसे जानकारी नहीं है जिसके संबंध में महेन्द्र अ०सा०-९ ने प्र०पी०-९ की शिकायत श्री गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता से लिखवाई जाना पैरा-९ में बताया है। फरियादी सुरेन्द्र अ०सा०-८ ने प्र०पी०-९ की बी से बी भाग की बात लिखाने से अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-९ में इन्कार करते हुए आरोपी देशराज और उसके परिवार के लोगों से मुकदमेबाजी चलना बताया है। पैरा-१० में इस बात से इन्कार किया है कि वह देशराज से दो बीघा ज्यादा जमीन चाहता है और उससे इन्कार करने के कारण जमीन के लालच में झूठा इस्तगासा लगाया है, ऐसा पैरा-१० में उसके द्वारा कहा गया है। पैरा-११ में फरियादी द्वारा मूल घटना के संबंध में यह भी बताया है कि जब उसे गोली लगी थी उस समय शाम के करीब साढ़े सात बजे का समय था। अंधेरा था या उजाला था यह उसे ध्यान नहीं है और उसने प्र०पी०-४ की देहाती नालिसी रिपोर्ट पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर तो स्वीकार किये हैं किन्तु वह रिपोर्ट लिखाने से इस आधार पर इन्कार करता है कि वह तो उस समय बेहोश था। पैरा-१२ में उसने यह भी कहा है कि वह मंदिर की तरफ पूजा के लिये नहीं गया था पेशाब के लिये गया था। वहाँ लाईट का प्रकाश था किन्तु उस समय जिस आदमी ने उसे बुलाया था उसके बिल्कुल नजदक जाकर उसने बात की थी। पैरा-१२ में ही उसने यह भी स्पष्ट किया है कि उसे आरोपी देशराज ने ४-५ फीट की दूरी से सामने से गोली मारी थी और अज्ञात साईड में थे जो देशराज से लगकर खड़े थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सक संतोष सोनी अ०सा०-७ ने भी अपने अभिसाक्ष्य में आहत को लगी गोली सामने से मारी जाने का मत व्यक्त किया है जिसकी पुष्टि आहत से हो रही है।

45. अ०सा०-८ फरियादी सुरेन्द्रसिंह तोमर के द्वारा यह भी पैरा-१३ में कहा

गया है कि कट्टा लगने पर वह चिल्लाया था और आवाज दी थी। तब महेन्द्र, वीरेन्द्र और राजेश उसके पास आ गये थे। उसके बाद वह बेहोश हो गया था। इस बात से उसने इन्कार किया है कि गोली मारने वाले दो अज्ञात थे। पैरा-14 में उसने प्र0पी0-4 का वृत्तांत पुलिस को लिखाने से इन्कार करते हुए पैरा-15 में यह कहा है कि आरोपी देशराज को उसने अस्पताल में नहीं देखा था। होश आने के बाद अपने भाई महेन्द्र, राजेश व वीरेन्द्र को गोली देशराज द्वारा मारना बताई थी। अस्पताल में वह तेरह चौदह दिन भर्ती रहा था। पैरा-21 में उसने यह कहा है कि उसने न्यायालय में सही बयान दिया था क्योंकि पुलिस ने कार्यवाही सही नहीं की थी। उसने यह भी कहा है कि महेन्द्र, वीरेन्द्र व राजेश को अपने पास आता हुआ देख लिया था। उसके बाद बेहोश हुआ था।

46. अ0सा0-8 सुरेन्द्रसिंह तोमर के अभिसाक्ष्य का उसके भाई महेन्द्र अ0सा0-9 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में उपरोक्तानुसार पूर्ण समर्थन किया है और यह कहा है कि घटना के समय वह भैंस दोह रहा था। उसका भाई मंदिर की तरफ पेशाब करने के लिये गया था। गोली चलने की आवाज पर वह और राजेश मंदिर तरफ भागकर गये थे और सुरेन्द्र को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा था। जिसकी बाईं जांघ में गोली का घाव था। फिर वह उसे उठाकर अस्पताल गोहद लाये थे और ग्वालियर हॉस्पिटल ले गये थे जहाँ उसका इलाज हुआ था। दो दिन बाद सुरेन्द्र को होश आया था। तब उसने देशराज के द्वारा गोली मारना उसे और राजेश को बताया था। फिर इस संबंध में पुलिस में कार्यवाही की थी। तब पता चला था कि अज्ञात आरोपी के विरुद्ध देशराज ने मिलकर रिपोर्ट लिखवा दी है और स्वयं अपना नाम गवाह में लिखवा लिया है। फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कार्यवाही की थी किन्तु सुनवाई न होने पर न्यायालय में परिवाद किया जिसमें उसका कथन हुआ था। इस साक्षी ने पैरा-2 में आरोपी देशराज को अपने ताउ पंचम का खास नाती बताते हुए जमीन संबंधी विवाद से इन्कार कर यह कहा है कि सब अपने अपने हिस्से की जमीन जोतते हैं और उनकी आपस में तू-तू-मै-मै हुई थी। कोई मारपीट नहीं हुई थी। आठ दस साल से आना जाना बंद हो गया है और मन मुटाव इस कारण है कि देशराज और दीपा के अवैध संबंध हैं। उसने यह भी कहा है कि उसके घर से मंदिर की दूरी करीब दस कदम की ही है और घर से मंदिर दिखाई देता है। उसने सुरेन्द्र को मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था और कोई नहीं गया। साक्षी वीरेन्द्र और राजेश के संबंध में भी पैरा-4 में उसने यह कहा है कि राजेश उसके मुहल्ले का अवश्य नहीं है किन्तु जब वह भैंस दोह रहा था तब राजेश उसके पास आकर बैठा था और वीरेन्द्र भी उससे मिलने आया था जिसका घर पांच छः मकान छोड़कर ही है। घटना के समय अंधेरा होना वह बताता है और यह भी उसने बताया है कि सुरेन्द्र मंदिर के बगल में पूर्व दिशा की ओर बेहोश पड़ा हुआ था वहाँ से खेती की ओर जाने का रास्ता भी है। उसने देशराज को मौके पर नहीं देखा था।

47. उक्त साक्षी महेन्द्र अ0सा0-9 ने पैरा-5 में यह भी कहा है कि सुरेन्द्र रास्ते में भी नहीं बोल रहा था न बात हुई थी। दो दिन बाद ग्वालियर अस्पताल में दिनांक 23.11.10 को को दिन के तीन चार बजे उसे होश आया था तब पैरा-6 में उसने स्वयं की और राजेश की तथा डॉक्टर नर्स की उपस्थिति बताई

है। इस बात से इन्कार किया है कि दीपा भी अस्पताल में आई थी। पैरा-7 में उसने यह कहा है कि होश आने के आधा घण्टे बाद वीरेन्द्र से पूछा था तब देशराज अस्पताल में ही मौजूद था और उसके सामने ही सुरेन्द्र ने घटना बताई थी। उसके बाद देशराज फरार हो गया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.11.10 को दिन में देशराज अपनी मोटरसाईकिल पर दो लोगों को बैठाकर घूम रहा था जिसे उसने स्वयं देख लिया था। जो दो लोग बैठे थे वह उन्हें नहीं पहचानता है। इस साक्षी के द्वारा पैरा-9 में धारा-202 दप्रसं के अंतर्गत हुए जांच कथन प्र0डी0-2 के संबंध में विरोधाभाष उत्पन्न किये हैं। किन्तु यह सुस्थापित विधि है कि धारा-202 दप्रसं के तहत जांच कथन एकपक्षीय रूप से लेखबद्ध किये जाते हैं। उस समय कोई प्रतिपरीक्षा नहीं होती है। इसलिये आरोप पश्चात साक्ष्य में विस्तृत प्रतिपरीक्षा में आये तथ्यों का प्र0डी0-2 के जांच कथन में उल्लेख न होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव साक्षी की विश्वसनीयता को लेकर नहीं माना जा सकता है। जैसा कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने विस्तृत अंतिम तर्कों में बार बार उल्लेखित किया है।

48. जहाँ तक उक्त साक्षी के द्वारा प्र0पी0-9 की लेखी रिपोर्ट श्री गंभीरसिंह अधिवक्ता से लिखवाई जाना पैरा-9 में बताया है और पैरा-10 में सोच समझकर शिकायती आवेदन पत्र दिया जाना स्वीकार किया है उससे भी उसकी विश्वसनीय समाप्त नहीं होती है। क्योंकि प्र0पी0-9 के बी से बी भाग के बारे में खण्डन आया है जिसमें जमीनी विवाद देशराज का उल्लेखित किया गया था। हालांकि जो संपूर्ण अभिसाक्ष्य है उसमें देशराज से पुराना विवाद चला आना और मुकदमेबाजी भी होना प्रकट हुआ है किन्तु मूल घटना के संदर्भ में ही विरोधाभाषों को देखा जाना है। मूल घटना के संबंध में आहत सुरेन्द्रसिंह अ0सा0-8 और उसके भाई तथा घटना के पश्चात ही मौके पर पहुंचे साक्षी की हैसियत रखने वाले महेन्द्रसिंह अ0सा0-9 के अभिसाक्ष्य में पुष्टिकारक साक्ष्य आई है। जैसा कि उपरोक्तानुसार भी बेहोशी के बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट की जा चुका है। दोनों साक्षी अ0सा0-8 व 9 के संबंध में भी जो तथ्य प्रकट हुए हैं उससे आहत का घटना के तत्पश्चात से लेकर अस्पताल में पूर्ण सचेतावस्था में होना नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक सुरेन्द्र का यह कहना रहा है कि उसने मौके पर महेन्द्र, वीरेन्द्र और राजेश को आता देख लिया था फिर बेहोश हुआ था। इससे यह प्रकट होता है कि जब उक्त तीनों साक्षी आहत के पास पहुंचे तब तक वह बेहोश हो गया था क्योंकि ऐसा स्पष्टीकरण नहीं लिया गया है कि कितनी दूरी से देखने पर वह बेहोश हो गया था। इसलिये बेहोश होने की जो बात अ0सा0-8, 9 एवं 11 के अभिसाक्ष्य में आई है वह संपुष्टि कारक है और तात्विक विषंगति नहीं है। आहत सुरेन्द्र ने स्पष्ट रूप से देशराज के द्वारा गोली मारना बताया है और यह बात अस्पताल में होश आने पर महेन्द्र और राजेश को भी बताई गई जिन्होंने उसकी पुष्टि की है। इसलिये अनुश्रुत साक्षी के रूप में अ0सा0-9 एवं 11 विश्वसनीय साक्षी होने तथा महेन्द्र तो तत्काल पश्चात ही मौके पर पहुंचा और फरियादी को लेकर अस्पताल भी गया, उपचार भी कराया।

49. इस साक्षी ने इस बात की भी स्पष्ट पुष्टि की है कि देशराज ने स्वयं को गवाह बनाकर अज्ञात में रिपोर्ट करवा दी थी जबकि गोली उसी ने मारी थी जैसा कि परिवाद का भी सार है। ऐसे में अ0सा0-8 और 9 की अभिसाक्ष्य पूर्ण

विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी की है और उस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। तथा इस आधार पर उन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि उनका आरोपी देशराज से पूर्व से विवाद है, रंजिश है और दीपा की फरियादी सुरेन्द्र से चल रही मुकदमेबाजी में देशराज के द्वारा दीपा का सहयोग करने के आधार पर उसे फंसा दिया गया है। जैसाकि दीपा ब0सा0-1 के रूप में भी कहती है। जैसी कि यह सुस्थापित विधि है कि विरोधाभाषों के आधार पर संपूर्ण अभिसाक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और अ0सा0-8 व 9 के अभिसाक्ष्य में तात्विक स्वरूप के विरोधाभाष भी उत्पन्न नहीं हुए हैं। विरोधाभाष केवल इस बिन्दु को लेकर हैं कि घटना के बाद जो पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई उसमें दो अज्ञात आरोपी बताये गये और बाद में सोच समझकर रंजिश के आधार पर परिवाद किया है। इसलिये पुलिस की कार्यवाही पर तो परिवादी की ओर से विश्वास नहीं रहने और असंतोष होने के कारण परिवाद किया गया था जिसे संज्ञान में भी लिया गया। इसलिये पुलिस कार्यवाही के संबंध में उत्पन्न विरोधाभाषों को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है और परिवादी के कथानक अनुरूप अ0सा0-8 व 9 की साक्ष्य है।

50. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **वामन एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2007) वोल्यूम-7 एस0सी0सी0 पेज-295** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मूलतः यह देखना चाहिए कि मूल घटना सिद्ध होती है या नहीं और यदि मूल घटना सिद्ध हो तब साक्षियों की अभिसाक्ष्य में आये विरोधाभाषों के आधार पर उनकी संपूर्ण अभिसाक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जो इस प्रकरण में उत्पन्न परिस्थितियों में लागू किये जाने योग्य है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया न्याय दृष्टांत **मुन्नालाल उर्फ मुन्ना विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2012 भाग-3 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-126** साक्षियों के विरोधाभाषों के संबंध में है जिसमें आहत का मृत्यु पूर्व कथन भी विवेचना के दौरान हुआ था। जिसमें किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं आया था इस आधार पर दोषमुक्ति की गई और मामला संदिग्ध माना गया था। ऐसी भी परिस्थिति इस प्रकरण में नहीं है। और पुलिस कार्यवाही का भी आधार नहीं है। इस प्रकार से बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया न्याय दृष्टांत बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। तथा न्याय दृष्टांत **सुच्चासिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब 2003 सी0आर0एल0जे0 पेज-3876 एस0सी0** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बहुत अधिक संदेह का लाभ देने से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सामाजिक बचाव समाप्त हो जाता है। उपरोक्त मागदर्शनों के परिप्रेक्ष्य में भी अ0सा0-8 व 9 की अभिसाक्ष्य सुदृढ़ पाई जाती है और उन पर केवल रंजिश के आधार पर आरोपी देशराज के संदर्भ में अविश्वास नहीं किया जा सकता है जिसके बाबत स्पष्ट रूप से मूल घटना कारित करने की साक्ष्य दी गई है। और यह भी सुस्थापित विधि है कि कोई साक्षी किस प्रकार का व्यवहार घटना के संबंध में करेगा उसके बारे में कोई सार्वभौमिक सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति अलग होती है और उसको व्यक्त करने की शक्ति अलग होती है। ऐसे में साधारण स्वरूप के विरोधाभाषों को महत्व नहीं दिया जा सकता है जिन पर ही बचाव पक्ष

का अधिक जोर है।

51. प्रकरण में आहत सुरेन्द्र के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी देशराज के द्वारा ही गोली मारना बताया गया है और उसका खण्डन नहीं हुआ है। आरोपी देशराज ने अपनी घटना के समय अन्यथा उपस्थिति बाबत भी न तो कोई अभियोजन साक्षियों को सुझाव देकर स्थित स्पष्ट की है न ही स्वयं की ओर से कोई साक्ष्य दी है। और इस बिन्दु पर दीपा का भी ब0सा0-1 के रूप में दिया गया कथन विश्वसनीय नहीं है कि उसे व देशराज को झूठा फंसाया गया है क्योंकि स्वयं दीपा के मुताबिक तो वह घटना के करीब दो साल पहले से अपने मायके चीनौर में रह रही है। घटना वाले दिन ग्राम बरौना में नहीं थी इसलिये वह किस आधार पर विश्वास के साथ कह सकती है कि देशराज को झूठा फंसाया जा रहा है। यह संभवतः इस आधार पर बताया जाना प्रकट होता है कि आहत सुरेन्द्र से उसका लंबे समय से अलगाव है और मुकदमेबाजी होकर पति पत्नी के संबंधों में टकराव की स्थिति होकर रंजिश है इसलिये उसे भी महत्वहीन ही माना जावेगा। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आहत के बारे में यह उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है कि वह असल अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष को फंसायेगा। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **जमना विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए0आई0आर0 1974 एस0सी0 पेज-1822** में मार्गदर्शित किया गया है। इसलिये सुरेन्द्र अ0सा0-8 और महेन्द्र अ0सा0-9 के द्वारा देशराज के विरुद्ध दिया गया अभिसाक्ष्य पूर्ण विश्वसनीय है और उस पर किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं किया जा सकता है न ही यह माना जा सकता है कि जमीन लेने के लालच में उसके विरुद्ध झूठा इस्तगसा लगाया गया है।
52. आरोपी देशराज की ओर से बचाव में लिया गया रंजिश का बिन्दु इसलिये भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि ऐसी साक्ष्य नहीं आई है कि आहत सुरेन्द्र ने कारित चोटें स्वयं पहुंचा लीं और रंजिश के आधार पर देशराज को परिवाद करके झूठा फंसा दिया क्योंकि देशराज की ओर से तो अज्ञात के द्वारा गोली मारकर भाग जाने का आधार लिया गया है। जो स्थापित नहीं है। इसलिये देशराज से चल रही बुराई और पूर्व के प्रकरणों के आधार पर उसके विरुद्ध परिवाद किया जाना नहीं माना जा सकता है।
53. इस प्रकार से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से आरोपी देशराज के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित हो जाता है कि उसके द्वारा ही दिनांक 22.11.10 को शाम करीब साढ़े सात बजे ग्राम बरौना हनुमान मंदिर के पास परिवादी सुरेन्द्रसिंह को गोली मारकर उस पर प्राण घातक हमला करते हुए कट्टे से गोली मारी जिससे उसे प्र0पी0-8 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट मुताबिक बताई गई चोट कारित हुई जो प्राण घातक है और जिसके कारण यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के अपराध का दोषी होता। फलतः आरोपी देशराज को धारा-307 भा0द0वि0 के अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
54. जहाँ तक आरोपिया श्रीमती दीपा का प्रश्न है, दीपा को उक्त मामले में आपराधिक षडयंत्रकारी के रूप में सह अभियुक्त के रूप में संयोजित किया गया है। इस संबंध में आहत सुरेन्द्र अ0सा0-8 के द्वारा इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि घटना के करीब एक माह पहले जब दीपा आई थी तब उसने उससे अपने

हिस्से की जमीन को बेचकर चीनौर में साथ में रहने के लिये कहा था और उसने मना कर दिया था कि वह जमीन नहीं बेचेगा न ही बंटवारा चाहता है और दीपा की बात नहीं मानी। तब दीपा ने उसे एक महीने के अंदर मरवा देने की धमकी दी थी। उसने इस आशय की भी साक्ष्य दी है कि उसकी पत्नी दीपा और आरोपी देशराज के अवैध संबंध हैं जो उसने देखे भी हैं। इसी षड़यंत्र के तहत देशराज ने घटना कारित की है। ऐसा ही उसके भाई महेन्द्र अ0सा0-9 भी अपने अभिसाक्ष्य में कहता है। अन्य साक्षियों की अभिसाक्ष्य में इस बिन्दु पर कोई तथ्य नहीं आये हैं।

55. आरोपिया दीपा की ओर से ब0सा0-1 के रूप में दिये गये अभिसाक्ष्य में आहत/परिवादी सुरेन्द्र और उसके मध्य पूर्व में हुए विवादों से संबंधित की गई रिपोर्टें जिनमें थाना डबरा में की गई प्र0डी0-4 ए की रिपोर्ट, चीनौर थाने में की गई प्र0डी0-5 की रिपोर्ट जिन पर से किसी अपराध का संज्ञान नहीं हुआ क्योंकि वह धारा-155 दप्रसं के तहत लेखबद्ध की गई थीं जो घटना के पूर्व की है। तथा प्र0डी0-7 के रूप में कुटुंब न्यायालय ग्वालियर में दीपा के कथन की प्रमाणित प्रतिलिपि को भी पेश किया है जिससे इस बात की तो पुष्टि होती है कि सुरेन्द्र और दीपा के बीच पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं हैं और उनके बीच पारिवारिक विवाद होकर मुकदमेबाजी चल रही है। प्र0डी0-6 के रूप में ग्वालियर थाने में जो दहेज के लिये प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दिनांक 25.03.11 को लिखाई गई थी वह घटना के बाद की है इसलिये उसे बचाव के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। किन्तु दीपा की ओर से अ0सा0-8 व 9 को दिये गये सुझावों में और स्वयं की ओर से ब0सा0-1 के रूप में दिये गये कथन में पति पत्नी के मध्य के टकराव का आधार यह बताया गया है कि आहत सुरेन्द्र के अपने चचेरे भाई लाले की पत्नी मंजू के साथ अवैध संबंध हैं जो उसने स्वयं भी देखे हैं उस पर से झगड़ा भी हुआ है, मारपीट भी हुई है जिसके कारण वह मायके रह रही है और उसने कार्यवाहियों की हैं जिससे अ0सा0-8 व 9 ने इन्कार किया है बल्कि दोनों ने ही आरोपीगण दीपा व देशराज के मध्य अवैध संबंध बताये हैं और उसके कारण ही षड़यंत्र रचा जाना भी कहा है।

56. आरोपीगण के रिश्ते के संबंध में यह निर्विवादित स्थिति आई है कि देशराज आहत सुरेन्द्र का कुटुंबी होकर भतीजा है इस नाते दीपा उसकी चाची लगती है। दीपा ने यह कहा है कि देशराज उसे माँ की तरह मानता है। इन बिन्दुओं का आपराधिक मामले में निराकरण संभव नहीं है किन्तु यह स्पष्ट है कि न तो दीपा की ओरसे सुरेन्द्र और मंजू के अवैध संबंधों को लेकर कोई कार्यवाही की गई न ही सुरेन्द्र के द्वारा आरोपी देशराज और दीपा के अवैध संबंधों को लेकर कोई पृथक से कार्यवाही की गई है। यह दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर लगाये गये चारित्रिक आक्षेप पति पत्नी के संबंध सामान्य न होने को ही इंगित करते हैं और परिवादी सुरेन्द्र अ0सा0-8 ने पैरा-3 के मुख्य परीक्षण में ही यह कहा है कि जब दीपा ने उसे घटना के एक महीने पहले यह धमकी दी थी कि वह एक माह के भीतर उसे मरवा देगी तो उसने उसे मजाक समझा था। इससे ही दीपा का षड़यंत्रकारी होने के संबंध में आक्षेप सुदृढ़ और सबल नहीं रह जाता है। दोनों ही एकदूसरे को अवैध संबंधों की पुष्टि देते हुए आपत्तिजनक स्थिति में देख लेना कहकर आये हैं। जैसा कि सुरेन्द्र द्वारा यह बताया गया है कि उसने

गोसपुरा ग्वालियर में दीपा और देशराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और दीपा यह कहकर आई है कि उसने सुरेन्द्र और मंजू को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था जिस पर से विवाद हुआ था तब उसकी मारपीट भी की गई थी। और मंजू को भी जेठ रामवरन ने चांटे मारे थे। लेकिन इस संबंध में कहीं कोई कार्यवाही न होने से एक दूसरे पर शंका की बिना पर किये गये आक्षेपों को महत्व नहीं दिया जा सकता है तथा आहत सुरेन्द्र के द्वारा धमकी के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई न ही मंजू के संबंध में दीपा के द्वारा कोई कार्यवाही की गई बल्कि दीपा के द्वारा जो प्र0डी0-4 ए की थाना डबरा में रिपोर्ट लिखाई गई थी उसमें मंजू का कोई जिक्र ही नहीं है इसलिये यह आक्षेप बचाव के लिये तैयार किये हुए ही परिलक्षित होते हैं। अन्य आक्षेपों के संबंध में अ0सा0-8 के पैरा-3, 5, 6, 7, 16 लगायत 20 एवं 22 में तथा अ0सा0-9 के पैरा-1, 3, 6 व 8 में बताये गये तथ्यों के अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

57. दीपा और आहत सुरेन्द्र का घटना के पूर्व पृथक पृथक लंबे अरसे से रहना बताया गया है। जैसा कि सुरेन्द्र अ0सा0-8 ने करीब पांच वर्ष से अलग रहना बताया है तथा दीपा भी घटना के करीब दो साल पहले से अलग रहना बताकर आई है उसकी घटना के समय गांव में उपस्थिति नहीं है। दीपा घटना वाले दिन या उसके आसपास के दिनों में कहाँ थी, यह भी स्पष्ट नहीं आया है। हालांकि दीपा घटना के बाद सुरेन्द्र की देखरेख के लिये अस्पताल में रहने, पैसों से मदद करना भी कहा है जबकि सुरेन्द्र और महेन्द्र अ0सा0-8 व 9 उससे इन्कार करते हैं जिन्होंने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उन्होंने दीपा से यह कहा था कि वह गोली मारने वाले के रूप में देशराज का नाम ले और उनका साथ दे तो वह साथ में रखेंगे जिससे उसने मना कर दिया था जिस कारण उसे झूठा फंसा दिया। दोनों साक्षियों ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि दीपा जब अस्पताल में आई तो उससे यह कहा था कि बीस हजार रुपये लेकर आओ और गोली मारने में देशराज का नाम बताओ जिससे इन्कार करने पर उसे फंसा दिया है।

58. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में पुलिस कहानी को आधार बनाते हुए बचाव में साक्षियों के कथनों में जो सुझाव देते हुए प्रश्न किये गये हैं उनके आधार पर घटना को असत्य माने जाने का तर्क मूलतः किया है। यह भी तर्क किया गया है कि जो रिपोर्ट लिखाई गई थी वह विलंबकारी थी और विलंब का कोई आधार नहीं बताया गया है। तथा परिवाद में दिनांक 22.12.10 एवं 06.01.10 को भी रिपोर्ट करना बताया है जो पेश नहीं की गई है। इसलिये परिवाद झूठा है और घटना झूठी मानी जावे। जैसा कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित किया जा चुका है कि पुलिस की कार्यवाही को आधार नहीं बनाया जा सकता है इसलिये एफ0आई0आर0 जिस पर से कोई संज्ञान नहीं हुआ उसे विलंबित होने के संबंध में निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं है और उपरोक्तानुसार संपूर्ण साक्ष्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए मूल्यांकन किया जा चुका है। आरोपी देशराज को धारा-307 भा0द0वि0 के लिये दोषी ठहराया जा चुका है।

59. जहाँ तक आरोपिया श्रीमती दीपा के आपराधिक षडयंत्र के संबंध में वैधानिक स्थिति का प्रश्न है, आपराधिक षडयंत्र के लिये जो वैधानिक स्थिति है उसमें आपराधिक षडयंत्र के लिये कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक

है। प्रकरण में देशराज और दीपा दो आरोपी अवश्य हैं किन्तु दूसरा तत्व यह देखने योग्य होता है कि पक्षकारों का कैसा आचरण रहा और प्रकरण में क्या तथ्य उत्पन्न हुए हैं जिससे आपराधिक षड़यंत्र के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके। क्योंकि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आपराधिक षड़यंत्र को प्रमाणित करने के लिये सामान्यतः प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना दुर्लभ है इसलिये आपराधिक षड़यंत्र से संबंधित पक्षकारों का कार्य, आचरण और स्थापित तथ्यों के आधार पर ही आंकलन लगाया जा सकता है। हस्तगत मामले में आरोपिया दीपा की घटना के करीब एक माह पहले दी गई धमकी को आपराधिक षड़यंत्र के रूप में प्रकट किया गया है। किन्तु अभिलेख पर घटना के एक माह पहले दीपा आहत सुरेन्द्र के पास आई थी इस बारे में सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है। जो परिस्थितियाँ हैं उसके मुताबिक तो काफी लंबे अरसे पहले ही दीपा और सुरेन्द्र का अलगाव है उनके बीच परिवार न्यायालय के अलावा अन्य फौजदारी मामले भी चले हैं और स्वयं सुरेन्द्र यह कहता है कि दो चार मुकदमे उस पर चलाये हैं, कुल कितने हैं यह उसे जानकारी नहीं है पुलिस जब पकड़ेगी तब उसे पता चलेगा। ऐसे में एक महीने पहले की बताई गई धमकी को षड़यंत्र के लिये कड़ी के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। आरोपी दीपा का देशराज के साथ घटना के समय ओर उसके तत्काल पूर्व या पश्चात आने के संबंध में भी सुदृढ़ साक्ष्य नहीं आई है। हालांकि दोनों आरोपी वर्तमान में ग्वालियर में निवासरत हैं और उनका धारा-313 दफ़्तर में तहत हुए परीक्षण में उनके बतलाये गये पते से अवश्य प्रकट होता है किन्तु साथ साथ रह रहे हों ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

60. यह सही है कि आपराधिक षड़यंत्र जैसा अपराध गुप्तता में किया जाता है और उसके लिये कोई सीधी साक्ष्य मिलना संभव नहीं होता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही उसे प्रमाणित किया जा सकता है कब से दीपा और देशराज साथ साथ है, ऐसी भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं है जबकि आहत देशराज और दीपा का अलगाव स्वयं अ0सा0-8 के मुताबिक घटना के पांच साल पहले से है। यदि किये गये आक्षेपों को षड़यंत्र के रूप में लिया जाता है तो घटना और भी पहले हो सकती थी।

61. आरोपिया दीपा एवं देशराज के मध्य चाची और भतीजे का रिश्ता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **स्टेट (देहली एडमिनिस्ट्रेशन) विरुद्ध एन0एस0 ज्ञानी ए0आई0आर0 1940 सुप्रीमकोर्ट पेज-1190** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्तों के बीच मात्र रिश्तेदारी यह निष्कर्ष निकालने के लिये पर्याप्त आधार नहीं होती है कि उनके मध्य कोई आपराधिक षड़यंत्र था एवं न्याय दृष्टांत **भगवानस्वरूप विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान 1991 सी0आर0एल0जे0 पेज-2123(एस0सी0)** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक षड़यंत्र के आरोप को मात्र अटकलों एवं अनुमानों के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता है और हस्तगत मामले में आपराधिक षड़यंत्र का आक्षेप जो परिवादी सुरेन्द्र की ओर से लगाया गया है वह अनुमानों और अटकलों पर ही आधारित होना परिलक्षित होता है। क्योंकि उसकी पत्नी दीपा से अलगाव है और मुकदमेबाजी भी चल रही है। इसलिये आपराधिक षड़यंत्र के बारे में अभिलेख पर सुदृढ़ साक्ष्य का अभाव नजर आता है।

62. आपराधिक षडयंत्र के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-10 लागू होती है जिसके मुताबिक— **सामान्य परिकल्पना के बारे में षडयंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें—** जहाँ कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिये मिलकर षडयंत्र किया है, वहाँ उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात, जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही, की या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षडयंत्र किया है, षडयंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था।
63. भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 की धारा-10 के प्रावधान अनुसार यदि प्रथम दृष्टया साक्ष्य इस आशय की है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध करने के लिये सहमति की है, तब न्यायालय के लिये यह पूर्णतः विधिक होगा कि षडयंत्र के सामान्य आशय के बारे में उक्त षडयंत्र के द्वारा किये गये कार्य, घोषणाएँ तथा आचरण दूसरे सह अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगा।
64. उक्त प्रावधानों की वैधानिक स्थिति को देखा जाये तो हस्तगत मामले में दीपा और सुरेन्द्र के द्वारा एकदूसरे पर किये गये आक्षेप अनुमानों पर ही आधारित हैं। इसलिये उनके आधार पर और कड़ी के रूप में घटना से न जुड़ने के आधार पर आरोपिया दीपा को आपराधिक षडयंत्र के लिये दोषी ठहराये जाने के लिये पर्याप्त और सुदृढ़ साक्ष्य नहीं होना पाई जाती है।
65. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ यू0पी0 विरुद्ध सतीश चन्द्र 1986 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 (एस0सी0) एस0एन0-73** पेश किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुश्रुत साक्षी पर संपुष्टिकारक साक्ष्य न होने से विश्वास न किये जाने का मार्गदर्शन साक्ष्य विधान की धारा-60 के अनुक्रम में किया गया है। मामला हत्या से संबंधित था। और दोषमुक्ति की अपील के संदर्भ में उक्त मार्गदर्शन दिया गया है। उसकी परिस्थितियाँ प्रकरण से भिन्न हैं। यह मामला परिवाद पर आधारित होने से बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। तथा अन्य न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध रामबख्श 2001 भाग-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-5** जो भी दोषमुक्ति की अपील के संदर्भ का होकर एफ0आई0आर0 पर आधारित है। विचाराधीन मामला परिवाद पर आधारित है। और एफ0आई0आर0 अज्ञात के विरुद्ध होने के संबंध में उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। इसलिये उक्त न्याय दृष्टांत से भी बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलता है।
66. इसी प्रकार न्याय दृष्टांत **रामकुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2012 भाग-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-54** का मामला अवश्य हत्या के प्रयास से संबंधित है किन्तु उसकी परिस्थिति भी पूर्णतः भिन्न है। न्याय दृष्टांत के मामले में परिवादी मूक वधिर था और संकेत तथा अंग विक्षेप के आधार पर उसकी साक्ष्य ली गई थी। किन्तु द्विभाषिया जिसके माध्यम से साक्ष्य ली गई उसे

शपथ नहीं दिलाई गई इस आधार पर साक्ष्य को ग्राह्य योग्य न मानते हुए दोषसिद्धि अपास्त की गई थी। ऐसी स्थिति इस मामले में नहीं है। इसलिये वह भी लागू किये जाने योग्य नहीं है।

67. इस प्रकार से आरोपी दीपा को धारा-307/120बी भा0द0वि0 के अपराध के लिये आपराधिक षड़यंत्र कारी होने के संबंध में मामला पूरी तरह से अप्रमाणित होकर संदिग्ध है अतः आरोपिया श्रीमती दीपा को उसके विरुद्ध विरचित आरोप धारा-120 बी भा0द0वि0 के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

68. उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण मुताबिक आरोपी देशराज को धारा-307 भा0द0वि0 के अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया है और वह वर्तमान में 35 वर्षीय है। अपराध की परिस्थिति और प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए वह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं पाया जाता है। फलतः दण्डाज्ञा पर उसे सुनने के लिये निर्णय स्थगित किया जाता है।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

दण्डाज्ञा

69. दण्डाज्ञा के प्रश्न पर आरोपी देशराज के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के तर्क सुने गये। आरोपी के अधिवक्ता का कहना है कि आरोपी नवयुवक होकर गृहस्थ व्यक्ति है। प्रथम अपराधी है तथा उसने परिवाद में उपस्थित होकर अभियोजन का पूरी तरह सामना किया है। और उसे रजिश के आधार पर अभियोजित करा दिया गया है। इसलिये उसे केवल जुर्माने से दण्डित कर छोड़ दिया जावे। जबकि विद्वान ए0जी0पी0 का तर्क है कि आरोपी के द्वारा घटना अवैध संबंधों के आधार पर घटित की गई है और ऐसे मामले समाज को प्रभावित करते हैं इसलिये कड़ा दण्ड दिया जावे।

70. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन मनन किया गया। यह सही है कि अभिलेख पर आरोपी देशराज के पूर्व दोषसिद्ध होने का कोई प्रमाण न होने से उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है। किन्तु उसके द्वारा घटना कारित करने में जिस तरह की परिस्थितियों का उपयोग किया गया तथा सक्रियता दिखाते हुए घटना को विपरीत दिशा में मढ़ने हेतु स्वयं पुलिस कार्यवाही में सहयोग पहुंचाकर अज्ञात में रिपोर्ट करवाई और स्वयं साक्षी बन गया उसको देखते हुए उसकी आपराधिक मनः स्थिति का पता चलता है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति के प्रति कोई उदारता बरती जाना उचित नहीं होगा। वर्तमान में अवैध संबंधों के चलते अनेक प्रकार की गंभीर अपराध घटित हो रहे हैं। जिससे पारिवारिक तानाबाना बिखर रहा है। समाज को ऐसे अपराधों से सुरक्षित किये जाने और उचित संदेश दिये जाने के उद्देश्य से यथोचित दण्ड दिया जाना आवश्यक है। धारा-307 भा0द0वि0 के अपराध में केवल अर्थदण्ड से ही दण्डित

कर नहीं छोड़ा जा सकता है। वह अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध होता है इसलिये समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त आरोपी देशराज को धारा-307 भा0द0वि0 के अपराध के लिये सात वर्ष के सश्रम कारावास सहित 25,000/-रुपये (पच्चीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

71. आरोपी देशराज के द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा किये जाने पर बतौर प्रतिकर मामले के फरियादी/आहत/परिवादी सुरेन्द्रसिंह तोमर पुत्र महाराजसिंह तोमर निवासी ग्राम बरौना थाना एण्डोरी को 15,000/-रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) अपील अवधि उपरान्त प्रदान किये जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

72. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

73. आरोपीगण का धारा-428 दफ़्तर् का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। एवं आरोपी देशराज का सजा वारण्ट तैयार कर सजा भुगताये जाने हेतु उसे अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा जावे। साथ में उसका धारा-428 दफ़्तर् का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जावे।

74. प्रकरण में निराकरण के लिये कोई संपत्ति जप्त नहीं है।

75. निर्णय की एक प्रति निःशुल्क आरोपी देशराज को प्रदान की जावे तथा एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 11 मार्च 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)